न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 14 / 20

उनवान

1 लक्ष्मी पत्नी फकीरा,
2. नाथी पुत्री फकीरा,
3. गंगाराम पुत्र सुजा जाति हरिजन नि0 मण्डियानी, नसीराबाद
—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री नितेश यादव

बनाम

1. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,
2. प्रेम,
3. भोपाल,
4. रघुवीर,
5. रामलाल,
6. रामेश्वर,
7. शैतान,
8. सौराज पि0 मोहन जाति नाई नि0 मण्डियानी, नसीराबाद,
9. रोडी देवी पत्नी देवा नायक जाति नायक नि0 मण्डियानी, नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

—: आदेश :— दिनांक :— 25.8.20

प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मण्डियानी की निम्न आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी की है।

हाल ख0न0	रकबा	वंर्किग ख0न0	रकबा	चौसाला ख0न0	रकबा
1187	4.65	1312 मिन	4.65	813	34—0—0
1186	0.90	1312	0.90	813	34—0—0

प्रार्थीगण के पूर्वज सूजा पुत्र बक्षा को वंर्किग खसरा नम्बर 1312 रकबा 34—0—0 में से 10—0—0 भूमि नियमन हुयी थी। इसी ख0न0 1312 में से 10—0—0 भूमि अप्रार्थी संख्या 2 से 8 के पिता मोहन पुत्र नन्दा नाई व 10—0—0 भूमि नाथू पुत्र नाहरा के नाम नियमन की गयी। इस प्रकार आराजी मुतनाजा सूजा पुत्र बक्षा के स्वामित्व की सम्पति थी सूजा की मृत्यु के बाद आराजी मुतनाजा सूजा के दो पुत्र फकीरा व गंगाराम के नाम नामान्तकरण संख्या 192 दिनांक 22.3.20 के द्वारा दर्ज हुयी। जिनके द्वारा उक्त आराजी पर एसबीबीजे नसीराबाद से ऋण लिया गया। जिसका वंर्किग जमाबंदी में इन्द्राज नामान्तकरण संख्या 246 दिनांक 29.7.02 द्वारा किया गया। आराजी मुतनाजा को हाल राजस्व रेकार्ड में त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया। साथ ही वर्तमान सेग्रिगेशन के समय खसरा नम्बर 187 कुल रकबा [illegible] के 3 नये खसरा

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.29 16:18:32 IST
Reason: SelfAttested

...र 1187 रकबा 1.41, 1187/2294 रकबा 1.62, 1187/2293 रकबा 1.62 दर्ज कर हाल राजस्व मानचित्र में गलत दर्शा दिया। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि राजस्व मानचित्र सम्वत् 2039 सन् 1982–83 के खसरा नम्बर 1187 में लाल रंग से दर्शायी है। राजस्व मानचित्र में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है। एवं अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 5, 8 व 9 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 1187/2294 रकबा 1.62 की आराजी अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के पूर्वज मोहन के नाम आवंटन होने से वर्किंग जमाबंदी में नियमानुसार खातेदारी दर्ज की गयी। नियमन दिनांक से ही मोहन उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। हाल राजस्व रेकार्ड में भी उक्त आराजी नियमानुसार खातेदारी दर्ज की गयी। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की आराजी को हडपने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। हाल राजस्व मानचित्र में आराजी मुतनाजा सही तरीके से दर्शित की गयी है। जिस पर अप्रार्थीगण मौके पर काबिज है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या 2 से 4 6 व 7 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया की प्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र स्वयं सिद्व करे।
बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार वादग्रस्त आराजी वंर्किंग खसरा नम्बर 1312 में से 10–0–0 आराजी प्रार्थीगण के पूर्वज सूजा के नाम नियमन हुयी थी। उक्त आराजी नियमानुसार खातेदारी दर्ज की गयी व उसके पश्चात विरासत भी दर्ज की गयी। वंर्किंग खसरा नम्बर 1312 के हाल खसरा नम्बर 1187 रकबा 4.65 व 1186 रकबा 0.90 बने है। पूर्व में हाल खसरा नम्बर 1187 राजस्व मानचित्र में 1 खसरा नम्बर के रूप में दर्शया गया है। किन्तु बाद में उक्त खसरा नम्बर के 3 नम्बर 1187, 1187/2294 व 1187/2293 बना कर 3 अलग–अलग खसरा नम्बर मानचित्र में दर्शाये है। खसरा नम्बर 1187/2294 व 1187/2293 अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है जबकि खसरा नम्बर 1187 सिवायचक दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि हाल राजस्व मानचित्र में उक्त तीनों खसरा नम्बर को गलत तरीके से मौके के विपरित दर्शा दिया है जिस भाग पर उनका कब्जा है उस भाग पर अप्रार्थीगण के खेत दर्शा दिये है जिस कारण अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है।

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी की आराजी हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी पर खातेदारी प्राप्त करने व नक्शा दुरूस्त कराने हेतु एक ही वाद पेश कर दिया किन्तु प्रार्थीगण का यह कथन न्यायोचित नही है। प्रार्थीगण अपने वाद में एक से अधिक अनुतोष प्राप्त करने का निवेदन नियमानुसार कर सकते है। साथ ही अप्रार्थीगण का कथन है कि हाल राजस्व मानचित्र में कोई त्रुटि नही है। मानचित्र अनुसार ही अप्रार्थीगण मौके पर आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त है। किन्तु राजस्व मानचित्र में त्रुटि का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही होगा।

प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विवाद आराजी मुतनाजा के हाल मानचित्र में इन्द्राज का है। प्रार्थीगण उक्त इन्द्राज त्रुटिपूर्ण बताते है जबकि अप्रार्थीगण उक्त मानचित्र को दुरूस्त बताते है। प्रथम दृष्टया मामला सद्भावपूर्वक उठाया गया सारभूत प्रश्न होता है। जिसका गुणावगुण व अन्वेषण के आधार पर विनिश्चय किया जाता है। इसलिये साबित करने का भार प्रार्थी पर है। राजस्व मानचित्र की स्थिति का निर्धारण मूल वाद में किया जावेगा अतः उक्त विवेचन अनुसार प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण सिद्व होता है।

2. <u>अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना</u> :– विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि ... नहीं दिया गया तो

उपखण्ड अधिकारी,
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.29 16:18:32 IST
Reason: SelfAttested

अपूरणीय क्षति होगी। अप्रार्थीगण का कथन है कि रेकोर्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में प्रस्तुत प्रकरण में विवाद राजस्व मानचित्र के अंकन का है। प्रार्थी व अप्रार्थी को मौके अनुसार ही आराजी मुतनाजा पर अपने कब्जे की स्थिति यथावत रखनी होगी ताकि वाद बहुलता नही हो। ऐसी परिस्थितियों में उनके विरूद्व व्यादेश जारी किया जाना न्यायोचित होगा। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी की जाती है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति की संभावना है। अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को हाने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे। किन्तु प्रकरण में राजस्व मानचित्र की स्थिति के निर्धारण तक मौके की स्थिति यथावत रखने के लिये दोनो पक्षों को पांबद किया जाना उचित होगा।

आदेश :– अतः ग्राम मण्डियानी की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा के मौके की स्थिति यथावत रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.29 16:18:32 IST
Reason: SelfAttested